सं0-194/62-2-2015-14एम0आई0/97टीसी-।।

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 फरवरी,2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु एम0एस0 पाइप के क्रय की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-3185/62-2-2014-14एम0आई0/97टीसी-।।, दिनांक 09-01-2015 के क्रम में अपने पत्र सं0-जी-14/ल0सिं0/भ0आ0/ग0बो0-एम0एस0/2014-15, दिनांक 15-10-2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उघोग विभाग के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0)-92, दिनांक 10-10-1994 के द्वारा विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा निर्गत दर अनुबन्ध के आधार पर तथा स्टोर परचेज रूल्स के संबंध में निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार एम0एस0 पाइप के क्रय की कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/

(चन्द्र प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

सं0-194(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- वरिष्ठ अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई लखनऊ मण्डल द्वारा मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

3- निदेशक, उद्योग निदेशालय कानपुर।

4- अधिशासी अभियन्ता भण्डार एवं आपूर्ति खण्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- निजी सचिव मा0 मंत्री, लघु सिंचाई विभाग।

6- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।